उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

U P POWER CORPORATION LTD.

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

CIN:U32201UP1999SGC024928

संख्या–1899–कार्य–चौदह/पाकालि/2021/29–के/1983 **दिनांक: 16 –अक्टूबर, 2021**

ई-मेल
स्पीड-पोस्ट

प्रबन्ध निदेशक,
मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल/
पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0,
लखनऊ/आगरा/मेरठ/वाराणसी
एवं केस्को लि0, कानपुर

विषय : भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के द्वारा (i) परफारमेंस सिक्योरिटी (ii) असामान्य न्यून बिड की दशा में अतिरिक्त परफारमेंस सिक्योरिटी (iii) बिड सिक्योरिटी अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट के सम्बन्ध में जारी दिशा–निर्देशों का अनुपालन किए जाने हेतु।

महोदय,

कृपया अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा), उ0प्र0 शासन के पत्र सं0–1434/24–1–2021–1434/2021 दिनांक 07 अक्टूबर, 2021 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा (i) परफारमेंस सिक्योरिटी (ii) असामान्य न्यून बिड की दशा में अतिरिक्त परफारमेंस सिक्योरिटी (iii) बिड सिक्योरिटी अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट के सम्बन्ध में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्त विभाग द्वारा जारी अर्धशासकीय पत्र सं0–9/4/2020–पी0पी0डी0, दिनांक 12.11.2020 द्वारा की गयी व्यवस्थता का अनुपालन अपने निगम के अधीन निष्पादित अनुबन्धों के अन्तर्गत नियमानुसार सुनिश्चित कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में आपसे अनुरोध है कि शासन के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 07.10.2021 द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन नियमानुसार सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

(पंकज कुमार)
प्रबन्ध निदेशक

संख्या–1899(I)–कार्य/चौदह–पाकालि/2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1 अपर प्रमुख सचिव(ऊर्जा), उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2 अध्यक्ष, उ0प्र0 पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3 प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4 निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0/वित्त/वितरण/वा0/का0प्ला0), उ0प्र0 पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5 प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल/पूर्वान्चल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल, वि0वि0नि0लि0, लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा/केस्को–कानपुर।
6 निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0/वित्त/वितरण/वाणिज्य), समस्त डिस्काम।
7 अपर सचिव–I,II,III, उ0प्र0 पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
8 अधिशासी निदेशक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा), उ0प्र0 पा0का0लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
9 महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन/लेखा एवं सम्प्रेक्षा), उ0प्र0 पा0का0लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
10 समस्त मुख्य अभियन्ता (सामग्री प्रबन्ध/वितरण), समस्त डिस्काम एवं केस्को, कानपुर।
11 समस्त अधीक्षण अभियन्ता (वितरण/भण्डार), समस्त डिस्काम।
12 समस्त संयुक्त सचिव, उ0प्र0 पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
13 अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या–407, उ0प्र0 पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को वेबसाइट–www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।
14 कट फाइल।

(पंकज कुमार)
प्रबन्ध निदेशक

5976
सं0............नि0(का0प्र0 एवं प्रशा0) पाकालि/20

संख्या–1434/24–1–2021–1434/2021

प्रेषक,

आलोक सिन्हा,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

पत्र सं0 1780 ....../2021
क्रम सं0 ......
पत्रावली सं0 ......

सं0 3233 पी0ए0सी0ए0एस0–1/21

सेवा में,

1 प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

2 प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

3 प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

4 प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

5 प्रबन्ध निदेशक,
पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि0,
वाराणसी, उ0प्र0।

6 प्रबन्ध निदेशक,
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0,
मेरठ, उ0प्र0।

7 प्रबन्ध निदेशक,
मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0,
लखनऊ, उ0प्र0।

8 प्रबन्ध निदेशक,
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0,
आगरा, उ0प्र0।

9 प्रबन्ध निदेशक,
केसको,
कानपुर, उ0प्र0।

4036/MD/21
07/10/2021

उप सचिव (कार्य)

(संदीप सिंह)

Dir (Dist.)

ऊर्जा अनुभाग–1 लखनऊ: दिनांक 07 अक्टूबर 2021

विषय:– भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के द्वारा (i) परफारमेंस सिक्योरिटी (ii) असामान्य न्यून बिड की दशा में अतिरिक्त परफारमेंस सिक्योरिटी (iii) बिड सिक्योरिटी/अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट के सम्बन्ध में जारी दिशा–निर्देशों का अनुपालन किए जाने हेतु।

AS-1

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0–2567/रैत्यां/क्वालिटी सेल, दिनांक 30.07.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा सचिव, व्यय विभाग, वित्त मन्त्रालय, भारत सरकार के अर्द्ध0शा0पत्र संख्या–9/4/2020–पीपीडी, दिनॉक 12–11–2020 तथा वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या– 16/2020/ए–1–10 भा0स0/दस–2020, दिनॉक 29–12–2020 द्वारा भारत सरकार में लागू की गई व्यवस्था को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0/उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0/पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि0/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0/मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0/केस्को के अधीन अनुबन्धों में लागू किए जाने हेतु अनुरोध किया गया था।

अपर निजी सचिव
निदेशक (का0 प्र0 एवं प्रशा0)
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड

Dir Comm/ PM&A/ CP
CE-Reforms/ CE(MUD)/ CEDSM/ Camp Copy

13/10/21

2– इस सम्बंध में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी अर्द्ध0शा०पत्र संख्या–9/4/2020–पीपीडी, दिनॉक 12–11–2020 के क्रम में वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या– 16/2020/ए–1–10 भ0स0/दस–2020, दिनॉक 29–12–2020 एवं शासनादेश संख्या– 4/2021/ए–1–02 मु०स०/दस–2021, दिनॉक 08–03–2021 की छायाप्रतियॉ संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया (i) परफारमेंस सिक्योरिटी (ii) असामान्य न्यून बिड की दशा में अतिरिक्त परफारमेंस सिक्योरिटी (iii) बिड सिक्योरिटीअर्नेस्ट मनी डिपॉजिट के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा की गई व्यवस्था का अनुपालन अपने निगम के अधीन निष्पादित अनुबन्धों के अन्तर्गत नियमानुसार तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आलोक सिन्हा)
अपर मुख्य सचिव।

No. F.9/4/2020-PPD
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure
Procurement Policy Division

512, Lok Nayak Bhawan, New Delhi
Dated the 12th November 2020

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Performance Security.

As per Rule 171 of General Financial Rules (GFRs) 2017, Performance Security is to be obtained from the successful bidder awarded the contract for an amount of five to ten percent of the value of the contract to ensure due performance of the contract. Similar provisions also exist in the Manual for Procurement of Works 2019 and Manual for Procurement of Consultancy & other Services 2017 issued by this Department.

2. The Government is in receipt of many representations that on account of slowdown in economy due to the pandemic, there is acute financial crunch among many commercial entities and contractors, which in turn is affecting timely execution of the contracts. It has also been represented that this may affect the ability of contractors to bid in tenders and hence reduce competition. Requests are being received for reduction in quantum of Security Deposits in the Government contracts.

3. In view of all above, it is decided to reduce **Performance Security from existing 5-10% to 3% of the value of the contract** for all existing contracts. However, the benefit of the reduced Performance Security will not be given in the contracts under dispute wherein arbitration/ court proceedings have been already started or are contemplated.

4. Further, all tenders/ contracts issued/ concluded till 31.12.2021 should also have the provision of reduced Performance Security.

5. In all contracts where Performance Security has been reduced to 3% in view of above stipulations, the reduced percentage of Performance Security shall continue for the entire duration of the contract and there should be no subsequent increase of Performance Security even beyond 31.12.2021.

Similarly, in all contracts entered into with the reduced percentage of Performance Security of 3%, there will be no subsequent increase in Performance Security even beyond 31.12.2021.

6. Wherever, there is compelling circumstances to ask for Performance Security in excess of three percent as stipulated above, the same should be done only with the approval of the next higher authority to the authority competent to finalise the

particular tender, or the Secretary of the Ministry/ Department, whichever is lower. Specific reasons justifying the exception shall be recorded.

7. These instructions will be applicable for all kinds of procurements viz. Goods, Consultancy, Works, non-consulting Services etc and are issued under Rule 6(1) of the GFRs 2017

(Kotluru Narayana Reddy)
Deputy Secretary to the Govt of India
Tel: 24621305
Email: kn.reddy@gov.in

To,

All the Secretaries and Financial Advisers to Government of India

Copy to: Secretary, Department of Public Enterprises with a request to issue the same instructions to Central Public Sector Undertakings (CPSUs).

अति महत्वपूर्ण

संख्या-16 /2020 /ए-1-10 भा0स0 /दस-2020

प्रेषक,

संजय कुमार मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (लेखा) अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक : 29 दिसम्बर, 2020

विषय - असामान्य न्यून बिड्स की दशा में अतिरिक्त परफार्मेन्स सिक्योरिटी /परफार्मेन्स सिक्योरिटी/ बिड सिक्योरिटी/अर्नेस्ट मनी डिपाजिट के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक डा0 टी0वी0 सोमनाथन, सचिव (व्यय विभाग), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या-9/4/2020 PPD दिनांक 12 नवम्बर, 2020 व उसके साथ संलग्न पत्रों (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त सन्दर्भित पत्रों में की गयी अपेक्षानुसार अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,
संजय कुमार मिश्र
संयुक्त सचिव।

संख्या- 16 /2020 /ए-1-10 भा0स0 (1) /दस-2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- सचिव (व्यय), व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001
2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
3- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
संजय कुमार मिश्र
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या- 4 / 2021/ ए-1-02 मु0स0 /दस-2021

प्रेषक,

पंकज सक्सेना,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (लेखा) अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक : 08 मार्च, 2021

विषय - असामान्य न्यून बिड्स की दशा में अतिरिक्त परफार्मेन्स सिक्योरिटी /परफार्मेन्स सिक्योरिटी/ बिड सिक्योरिटी/अर्नेस्ट मनी डिपाजिट के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-13/2020/ए-1-10 भा0स0 /दस-2020, दिनांक 29 दिसम्बर, 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। शासन के संज्ञान में यह आया है कि कतिपय विभागों द्वारा उक्त शासनादेश दिनांक 29 दिसम्बर, 2020 का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

2- अतः इस सम्बन्ध में मुझे पुनः यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 29 दिसम्बर, 2020 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

पंकज सक्सेना

विशेष सचिव।

संख्या- 4 / 2021/ ए-1- 02 मु0स0 (1) /दस-2021 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।

2- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

पंकज सक्सेना

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

पंकज कुमार
आई०ए०एस०
प्रबन्ध निदेशक

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग
लखनऊ –226 001
ई मेल–mduppcl12@gmail.com
☎ : 0522–2288377

संख्या 2567/रेस्पो/क्वालिटी सेल — दिनांक: 30.07. 2021

विशेष सचिव (ऊर्जा),
उ0प्र0 शासन,
बापू भवन, लखनऊ।

विषय :–भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के द्वारा (i) परफारमेन्स सिक्योरिटी (ii) असामान्य न्यून बिड की दशा में अतिरिक्त परफारमेन्स सिक्योरिटी (iii) बिड सिक्योरिटी/अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट से सम्बन्धित दिशा–निर्देश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या F.9/4/2020-PPD दिनांक 12.11.2020 के माध्यम से निर्गत दिशा–निर्देशों के क्रम में मेसर्स REC Ltd. एवं PFC Ltd. के माध्यम से अच्छादित योजनाओं के अन्तर्गत किये गये अनुबन्धों में Performance Security 10% से 3% पर की गयी है। साथ ही विभिन्न स्तरों के द्वारा Performance Security कम करने का अनुरोध प्राप्त हो रहा है।

इसी प्रकार वित्त मंत्रालय भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुक्रम में वित्त (लेखा) अनुभाग–1, उ0प्र0 शासन द्वारा पत्र संख्या–16/2020/ए–1–10 भा0स0/दस–2020 दिनांक 29.12.2020 के माध्यम से भी Performance Security कम करने सम्बन्धी निर्देश निर्गत किये गये हैं। इसके अनुक्रम में औद्योगिक विकास अनुभाग–3 के पत्र संख्या–1230/77–3–2021–16 एम/21 दिनांक 13.07.2021 के द्वारा शासनादेश निर्गत हुआ है।

अतः वित्त मंत्रालय, भारत सरकार तथा वित्त (लेखा) अनुभाग, उ०प्र० शासन के निर्देशों के अनुक्रम में ऊर्जा विभाग द्वारा उ0प्र0पा0का0लि0, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निमग, UPPTCL, उ0प्र0 जल विद्युत निगम, पूर्वांचल, मध्यांचल, दक्षिणांचल, पश्चिमांचल–वि0वि0नि0लि0 एवं केस्को के अधीन अनुबन्धों में Performance Security के सम्बन्ध में उचित आदेश निर्गत करने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

(पंकज कुमार)
प्रबन्ध निदेशक

प्रति : अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।

<u>अति महत्वपूर्ण</u>

<u>संख्या-16 /2020 /ए-1-10 भा0स0 /दस-2020</u>

प्रेषक,

संजय कुमार मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

<u>वित्त (लेखा) अनुभाग-1</u> <u>लखनऊ : दिनांक : 29 दिसम्बर, 2020</u>

विषय - असामान्य न्यून बिड्स की दशा में अतिरिक्त परफार्मेन्स सिक्योरिटी /परफार्मेन्स सिक्योरिटी/ बिड सिक्योरिटी/अर्नेस्ट मनी डिपाजिट के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक डा0 टी0वी0 सोमनाथन, सचिव (व्यय विभाग), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या-9/4/2020 PPD दिनांक 12 नवम्बर, 2020 व उसके साथ संलग्न पत्रों (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें ।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त सन्दर्भित पत्रों में की गयी अपेक्षानुसार अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

<u>संलग्नक-यथोपरि ।</u>

भवदीय,
संजय कुमार मिश्र
संयुक्त सचिव ।

<u>संख्या- 16 /2020 /ए-1-10 भा0स0 (1) /दस-2020 तद्दिनांक ।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- सचिव (व्यय), व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक , नई दिल्ली-110001

2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।

3- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश ।

आज्ञा से,
संजय कुमार मिश्र
संयुक्त सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <u>http://shasanadesh.up.gov.in</u> से सत्यापित की जा सकती है ।

जारी/डा0 पंकज
13/7/2021

डारी/13/7/21

ई–मेल
संख्या– 1230 /77–3–2021–16 एम/21

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यूपीडा, पर्यटन भवन,
गोमती नगर, लखनऊ।

(2) मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
ग्रेटर नोयडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

(3) मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
नोयडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

(4) मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यमुना एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

(5) मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यूपीसीडा।

(6) मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

(7) मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

1816 ... 2021
19.07.2021

औद्योगिक विकास अनुभाग–3   लखनऊ : दिनांकः 13 जुलाई, 2021

विषयः भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के द्वारा (i) परफारमेंस सिक्योरिटी (ii) असामान्य न्यून बिड की दशा में अतिरिक्त परफारमेंस सिक्योरिटी (iii) बिड सिक्योरिटी/अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट के सम्बन्ध में जारी दिशा–निर्देशों का अनुपालन किए जाने हेतु।

महोदय,

उक्त विषय के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि कोविड–19 महामारी के कारण आर्थिक मंदी के दृष्टिगत सचिव, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अर्द्ध0शा0पत्र संख्या–9/4/2020–पीपीडी दिनॉक– 12–11–2020 के साथ संलग्न पृथक–पृथक शासनादेशों के द्वारा भारत सरकार में लागू की गई व्यवस्था को प्रदेशों में भी लागू किए जाने हेतु अनुरोध किया गया था, जिसके क्रम में वित्त विभाग, उ0प्र0 सरकार के पत्र संख्या– 16/2020/ए–1–10 भा0स0/दस–2020 दिनॉक– 29–12–2020 के द्वारा भारत सरकार के उक्त पत्र में की गई आपेक्षानुसार समस्त विभागों से अपने स्तर से कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए थे। वित्त विभाग के द्वारा पुनः शासनादेश संख्या– 4/2021/ए–1–02 मु0स0/दस–2021 दिनॉक– 08–03–2021 के माध्यम से पूर्व में निर्गत शासनादेश का कड़ाई से अनुपालन किए जाने के निर्देश निर्गत किए गए थे।

2. उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के क्रम में सड़क परिवहन एवं राज्यमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भी अपने Office Memorandum No. G-20016/01/2020-TF-II दिनॉक– 17–11–2020 के माध्यम से उपरोक्त विषयक दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं।

3. इस सम्बन्ध में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी अर्द्ध0शा0 पत्र संख्या–9/4/2020–पीपीडी दिनॉक– 12–11–2020 के क्रम में वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या– 16/2020/ए–1–10 भा0स0/दस–2020 दिनॉक– 29–12–2020 एवं शासनादेश संख्या– 4/2021/ए–1–02 मु0स0/दस–2021 दिनॉक– 08–03–2021 की छायाप्रतियॉ संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया (i) परफारमेंस सिक्योरिटी ii) असामान्य न्यून बिड की दशा में अतिरिक्त परफारमेंस सिक्योरिटी (iii) बिड सिक्योरिटी/अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा की गई व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या– 1230 (1) /77–3–2021तद्दिनॉक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव, वित्त (लेखा), अनुभाग–1, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)

संयुक्त सचिव।